रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2046] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2014/अश्विन 16, 1936
No. 2046] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2014/ASVINA 16, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2590(अ).-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) और धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी 'क' के पश्चात्, निम्नलिखित सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी ख

ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के लिए सुरक्षा मानक

क्रम सं.	पुर्जे/संघटक/समंजन	मानक	आरंभ की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	निम्नलिखित अनुप्रयोग के लिए मोटर यानों, जिसके अंतर्गत सन्निर्माण उपस्कर यान भी है, में प्रयुक्त आटोमोबाइल लैम्प : (i) मुख्य हैडलाइट और डिप (ii) पार्किंग लाइट (iii) दिशा सूचक लैंप (iv) टेल लैंप (v) रिवर्सिंग लैंप (vi) स्टॉप लैंप (vii) पिछले रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को दर्शाने वाला लैंप	ए.आई.एस.-034/2004	8 अक्तूबर, 2014
2.	पहिया रिम	ए.आई.एस.-073/2007	8 अक्तूबर, 2014
3.	(क) प्रकाश और प्रकाश सिग्नल तंत्र की स्थापना	ए.आई.एस.-009/2001	8 अक्तूबर, 2014

	(ख) प्रकाश और प्रकाश सिग्नल की कार्य निष्पादन अपेक्षाएं	ए.आई.एस.-012/2004 ए.आई.एस.-010/2004	
4.	बैटरी चालित यानों के सन्निर्माण और कार्य सुरक्षा की अपेक्षाएं	ए.आई.एस.-038/2003	8 अक्तूबर, 2014
5.	बैटरी चालित यानों के लिए निवल ऊर्जा और अधिकतम तीस मिनट तक ऊर्जा तथा गति की माप	ए.आई.एस.-041/2003	8 अक्तूबर, 2014
6.	बैटरी द्वारा प्रचालित यानों में प्रयुक्त ट्रेक्शन बैटरी	ए.आई.एस.-048/2009	8 अक्तूबर, 2014
7.	हैंडहोल्ड की अपेक्षा	ए.आई.एस.-046/2009	8 अक्तूबर, 2014

सुरक्षा मानकों के लिए ई-रिक्शा का सत्यापन—ई-रिक्शा रजिस्टर्ड संघ, 30 नवंबर, 2014 को या उससे पहले, यथास्थिति, संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के परिवहन विभाग को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उससे पहले विद्यमान ई-रिक्शा और उसके विद्यमान माडलों की सूची पर रोक लगाने के प्रयोजन से ई-रिक्शा की प्रमाणित सूची उसके स्वामी के नाम और विद्यमान माडलों के साथ प्रदान करेगा, जो केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अभिकरण से परीक्षण द्वारा सत्यापन के अध्यधीन होगा । संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का परिवहन विभाग साथ-साथ ई-रिक्शा रजिस्टर्ड संघ द्वारा ऐसे चयन किए गए नमूने का इस प्रकार के प्रयोजन से सत्यापन करेगा कि वे परीक्षण के अध्यधीन रहते हुए विनिर्देशनों के परीक्षण अनुपालन रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उसके आधार पर रजिस्ट्रीकृत किए जा सकें जो सूचीबद्ध ई-रिक्शा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करें । परीक्षण अभिकरण, परीक्षण यान और अपेक्षित परीक्षण फीस के प्राप्त होने पर, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार ऐसे नमूना यान का परीक्षण करेगा और अनुपालन रिपोर्ट जारी करेगा, जिसके आधार पर, यथास्थिति, संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का परिवहन विभाग उस मॉडल के ई-रिक्शा को सत्यापन रिपोर्ट से तुलना करने के पश्चात् रजिस्टर करेगा ।"।

[सं. आर.टी.-11036/80/2012-एम.वी.एल.]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365(अ) तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1558(अ) तारीख 18 जून, 2014 द्वारा उसका अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2014.

S.O. 2590 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 13th December, 2004, namely:–

In the said notification, after Table A, the following shall be inserted, namely:–

"Table B

Safety Standards for E-rickshaws and E-carts

SI. No.	Parts/Components/Assemblies	Standards	Date of commencement
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Automobile lamps used in motor vehicles including construction equipment vehicles for the following applications: *(i) Head Lights Main and Dip* *(ii) Parking Light* *(iii) Direction Indicator Lamp* *(iv) Tail Lamp* *(v) Reversing Lamp* *(vi) Stop Lamp* *(vii) Rear Registration Mark Illuminating Lamp*	AIS-034/2004	8 October, 2014.
2.	Wheel rims	AIS-073/2007	8 October, 2014.
3.	(a)Installation requirement for lighting and light signalling devices	AIS-009/2001	8 October, 2014.
	(b)Performance requirement of lighting, light signalling	AIS-012/2004 AIS-010/2004	
4.	*The requirements for construction and functional safety of battery operated vehicles*	AIS-038/2003	8 October, 2014.
5.	*The measurement of net power and the maximum thirty minute power and speed for battery operated vehicles*	AIS-041/2003	8 October, 2014.
6.	*Traction batteries used in battery operated vehicles*	AIS-048/2009	8 October, 2014.
7.	*Requirement of handholds*	AIS-046/2009	8 October, 2014.
	(b)Performance requirement of lighting, light signalling	AIS-012/2004 AIS-010/2004	

Verification of E-rickshaws for safety standards.—The registered E-rickshaw Associations shall, on or before the 30th November, 2014, provide a certified list of E-rickshaws with name of owners and the models existing on or before the publication of this notification to the transport department of the concerned State Government or Union Territory for the purpose of freezing the list of existing E-Rickshaws and existing models. The registered E-rickshaw Association will select one E-rickshaw per model as sample vehicle, which shall be subject to verification by any test agency as specified by the Central Government under Rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. The transport department of the concerned State Government or the Union Territory, will simultaneously verify such samples so selected by the E-rickshaw Association, with the purpose that they truly represent the enlisted E-rickshaw subject to testing and can be registered based on the test report of compliance to specifications. The test agency shall, on receipt of the test vehicle and requisite testing fees, carry out testing of such a sample vehicle as per the provisions of this

notification and issue compliance report, on the basis of which the transport department of the concerned State Government or the Union Territory, shall, after comparison with its verification report, register the E-rickshaws for that model.".

[No.RT-11036/80/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1365 (E) dated the 13th December, 2004 and lastly amended *vide* notification number S.O. 1558 (E) dated the 18th June, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.